

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/10943/SBL/SAMBHAL/65/CFO

दिनांक: 11-09-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST MARYS SCHOOL SHANTIPURAM MANDI ROAD SAMBHAL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **64 66,mandi road sambhal,sambhal** तहसील - **sambhal** जिसमें


| ब्लॉक/टावर | तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------|
| ST MARYS SCHOOL SHANTIPURAM | 3 | 0 | 12 mt. |

तथा प्लॉट एरिया **16696.33 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST MARYS SCHOOL SHANTIPURAM MANDI ROAD SAMBHAL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **15-09-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **FRANCIS ANTHONYLAWRENCE 9837603195** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-09-2025** से **16-09-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : एफएसएसओ श्री सनद कुमार द्वारा, आवेदन पर अपलोड मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया तो प्रश्रुत भवन में अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील पायी गयी। उक्त भवन भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल पर निर्मित है। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। यदि सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो आख्या स्वतः निरस्त समझा जायेगा। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एफएसएसओ कि संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-09-2025
स्थान : **SAMBHAL**


मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

KRISHNA KANT OJHA

D2CD45B833B93D43EA7B9FB5236A8039207BA48E

17-09-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.





MANAGER
ST. MARY'S SCHOOL
DISTT. SAMBHAL - 244302